राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला–134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

क्रमांक रा.नि.आ./2 एम.ई./2022/4587 दिनांक 11 जून, 2022

सेवा में

उपायुक्त, भिवानी।

विषयः– नगर परिषद भिवानी के आम चुनाव–2022 हेतु मत पत्र मुद्रित करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है कि नगर परिषद, भिवानी के आम चुनाव–2022 हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं उप मंडल अधिकारी (नागरिक), भिवानी द्वारा मतपत्र का नमूना तैयार करके आयोग को मुद्रण हेतु भेजा गया है। अध्यक्ष पद हेतु मतपत्र के नमूने में पाया गया है कि क्रम संख्या 3 पर श्रीमति इंदु का नाम दर्शाया है और उसके सामने झाड़ू का चुनाव चिन्ह दर्शाया गया है और क्रम संख्या 4 पर कुलदीप सुद का नाम दर्शाया गया है और उसके सामने चश्मे का चुनाव चिन्ह दर्शाया गया है।

2. श्रीमति इंदु का संबंध आम आदमी पार्टी जो कि गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से है और श्री कुलदीप सुद का संबंध इण्डियन नैशनल लोकदल जो कि राज्य स्तरीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची रिटर्निंग अधिकारी की हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 103 पर की गई व्यवस्था अनुसार हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित क्रमानुसार तैयार की जानी थीः–

i. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल) ;
ii. पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल ;
iii. स्वतंत्र उम्मीद्वार ।

3. जबकि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा श्रीमति इंदु जिसका संबंध पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से है का नाम राज्य मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीद्वार जो कि क्रम संख्या 4 पर दर्शाया गया है, के पश्चात आना चाहिए था। इस प्रकार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अध्यक्ष पद हेतु तैयार किये गये मत पत्र का नमूना गलत है। इसी प्रकार सदस्यों को अलॉट किये गये चुनाव चिन्ह जैसे कि कार, स्कूटर, रेल का इंजन आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव चिन्हों से मेल नहीं खाते हैं।

3. अतः रिटर्निंग अधिकारी को आदेश देवें कि मत पत्र का नमूना हिदायतोंनुसार पुनः तैयार करके तत्काल भेजें।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

पृ0 क0 रा.नि.आ./2 एम.ई./2022/4588 दिनांक 11 जून, 2022

इसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी एवं उप मंडल अधिकारी (नागरिक), भिवानी को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।